



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 368/2023 धारा- 363,376(1),376(2),506 भा०द०सं० व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सागर उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रामदीन निवासी कदौरा, थाना कदौरा, जनपद जालौन को धारा 363/506 भा०द०सं० व 04 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक—
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक—
निरी० गुलाब चन्द्र
सोनकर



पैरोकार
थाना- कोतवाली नगर
का० रजनीश कुमार